न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 10/2025

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री गजानंद सहरिया (पॉश कोड–8796), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत परानियां, तहसील–किशनगंज,जिला–बारां(राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री घनश्याम गर्ग एड. (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 11.02.2026

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 407–13 दिनांक 21.02. 2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 68116.51 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 331–40 दिनांक 23.01.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 33/2002 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 68116.51 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1839146/– रूपये की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.08.2025 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि श्रीमान के नोटिस के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध प्रमाण पत्र (रिक्यूजेशन सर्टिफिकेट) रूपये 18,39,146/– रूपये बकाया व काबिल वसूल होने बाबत धारा 4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को उक्त राशि जमा करवाने बाबत नोटिस दिया गया है जिसके बाबत प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी के पास पूर्व मे ऑफ लाईन के गेहूं 68,116.51 किग्रा गेहू थे एवं केरोसीन 2835 लीटर, चीनी 2624.15 किग्रा था जो प्रार्थी द्वारा ग्रामीण राशन कार्ड धारियो को बांट दिये गये थे उसके बाद ऑन लाईन मे प्रार्थी को घी, दाल, प्राप्त हुये थे जो समस्त सामग्री को प्रार्थी द्वारा डालचंद को सरपंच की मौजूदगी मे संभला दिया था तथा इस प्रकार प्रार्थी के पास राशन की कोई भी सामग्री स्टाक में नही थी। जांच अधिकारी द्वारा अपनी मनमर्जी से कागजी खानापूर्ति करके जिला रसद अधिकारी महोदय बारां के यहां पेश की गई है जो कि अमान्य है। इसके पश्चात जो प्रार्थी को ऑनलाईन राशन सामग्री जो भी सरकार से मिलती है उसे प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पोस मशीन [illegible] राशनकार्ड धारियो को वितरण कर दिया जाता है तथा राशन कार्ड धारियो द्वारा किसी [illegible] तक प्रार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

हुये थे जो समस्त सामग्री को प्रार्थी द्वारा डालचंद को सरपंच की मौजूदगी

नही की गई है। प्रार्थी द्वारा सरकार के नियमो के अनुसार पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक राशन सामग्री का वितरण किया है तथा कोई अनियमितता नहीं बरती है। प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही उपरोक्त कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई गबन नही किया है। अतः जवाब नोटिस पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही उपरोक्त कार्यवाही को ड्रोप फरमाने की कृपा करे ।

4— जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5— दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 68116.51 किग्रा. का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 33/2002 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/—रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से गेंहू NFSA 68116.51 किग्रा. की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/— रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1839146/—रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सर्वथा गलत व निराधार है प्रार्थी ने कभी भी खाद्यान्न सामग्री का गबन नहीं किया है। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने पर प्रार्थी ने स्टॉक रजिस्टर अनुसार उपलब्ध आवश्यक वस्तुएं अटैचमेन्ट डीलर डालचन्द को संभला दी थी। प्रार्थी ने जब से उचित मूल्य दुकान का कार्य प्रारम्भ किया है तब से प्रार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं की है। प्रार्थी नियमित रूप से आवंटित राशन सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को नियमानुसार कर रहा है। आक्षेपित गेंहू 68116.51 किग्रा. का भी वितरण प्रार्थी ने ऑफलाईन उपभोक्ताओं को कर दिया था। प्रार्थी द्वारा सरकार के नियमो के अनुसार पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक राशन सामग्री का वितरण किया है तथा कोई अनियमितता नहीं बरती है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई गबन नही किया है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही उपरोक्त कार्यवाही को ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया कि अप्रार्थी ने स्वंय जवाब में अंकित किया है कि उसके द्वारा 68116.51 किग्रा. का ऑफलाईन वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया था परंतु इस बाबत अप्रार्थी ने कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये। अस्तु अप्रार्थी का यह कथन नितान्त असत्य होना पाया जाता है कि अप्रार्थी ने खाद्यान्न का गबन नही किया हो। इसी आधार पर अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 33/2002 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/— रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1839146/—रू. वसूली योग्य निकाली गई है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

9— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री गजानंद सहरिया (पॉश कोड—8796), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत परानियां, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 1839146/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दि[illegible] कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

जिला बारां (राज०)